

हरिजनसेवक

दो आना

(स्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १५

सम्पादक : किशोरलाल मशरुवाला

सह-सम्पादक : मगनभाभी देसायी

अंक ३०

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाखामाभी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २२ सितम्बर, १९५१

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ६; शि० १४

भूदान-यज्ञकी भूमिका - १*

[विनोबाजीकी तेलंगाना-यात्राका वर्णन 'हरिजन' में प्रकाशित होना शुरू ही हुआ है कि अन्होंने एक नयी — जिस बार उत्तरकी — यात्राका आरंभ कर दिया है। अतः मुझे सोचना था कि तेलंगानाकी यात्रा छोड़ दी जाय या विनोबाकी जिस उत्तराभिमुखी यात्राके बावजूद अुसका प्रकाशन, हमारी चाल कितनी भी धीमी क्यों न हो, जारी रखा जाय। विनोबाकी सलाहसे मैंने पुरानी यात्राका प्रकाशन जारी रखना ही तय किया है। यह उत्तरकी यात्रा अुस तेलंगानाकी यात्राका ही, जिसमें भूदान-यज्ञका श्रीगणेश हुआ था, एक नया पर्व है। अुस यात्रामें अुन्होंने रोज-रोज भूदान-यज्ञकी भूमिका, अुसका अुद्देश्य और तत्त्वज्ञान तथा जनताके मन पर अुसकी प्रतिक्रिया समझायी है। देशके जिन हिस्सोंमें अब वे विचरने जा रहे हैं, वहांकी जनताको जिस वर्णनसे यह समझनेमें मदद होगी कि जिस वक्त वे जहां पहुंचें, वहांकी जनतासे क्या करनेकी अपेक्षा रखते हैं। अुससे देशके दूसरे हिस्सोंमें भी अैसे ही यज्ञ आरंभ करनेकी प्रेरणा मिल सकती है।

लेकिन तेलंगाना-यात्राके विवरणमें जिस बार मैंने समय-क्रमका बंधन छोड़ दिया है। विनोबाजीका वारंगलका यह भाषण अुनके विशेष प्रवचनोंमें से एक है; अुसमें काफी विस्तारपूर्वक भूदान-यज्ञ आन्दोलनकी शुरुआत और अुसकी बुनियादी कल्पनाओं पर प्रकाश डाला गया है। जिसलिअे जिस भाषणको अुसके क्रमके पहले ही जिस सप्ताह प्रकाशित किया जा रहा है। — कि० घ० म०]

संस्कृतिकी प्रक्रिया

हमारा यह मानव-समाज हजारों वर्षोंसे जिस पृथ्वी पर जीवन बिता रहा है। पृथ्वी अितनी विशाल है कि पुराने जमानेमें अधरके मानवकी अधरके मानवसे कोअी पहचान नहीं रहती थी। हरअेकको शायद अितना ही लगता था कि अपनी जितनी जमात है, अुतनी ही मानव-जाति है। पृथ्वीके अधर क्या होता होगा, जिसका भान भी शायद अुन्हें नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे विज्ञानका प्रकाश फैलता गया, मनुष्यका संपर्क सृष्टिके साथ बढ़ता गया और मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सभी दृष्टियोंसे मानवोंका आपसी संपर्क भी बढ़ता गया। जब कभी दो राष्ट्रोंका या दो जातियोंका संपर्क हुआ, तो हर बार वह मीठा ही साबित हुआ हो, अैसी बातन ही है। कभी वह मीठा होता था, कभी कड़वा; लेकिन कुल मिलाकर अुसका फल मीठा ही रहा। जिस बातकी मिसाल दुनियाभरमें मिल सकती है। लेकिन सारी दुनियाकी मिसाल हम छोड़ भी दें और केवल भारतका ही खयाल करें, तो मालूम होगा कि बहुत प्राचीन जमानेमें यहां जो आर्य लोग रहते थे, अुनकी संस्कृति

हिन्दुस्तानकी पहाड़ी संस्कृति थी और दक्षिणमें जो द्रविड़ लोग रहते थे, अुनकी संस्कृति समुद्रकी संस्कृति थी। जिस तरह द्रविड़ों और आर्योंकी संस्कृतिके मिश्रणसे अेक नयी संस्कृति बनी। पहले ये दोनों संस्कृतियां, अुत्तर और दक्षिणकी, अलग-अलग रहीं। हजारों वर्षों तक जिन लोगोंमें आपसमें कोअी संबंध नहीं था, क्योंकि बीचमें अेक बड़ा भारी दंडकारण्य पड़ा था। लेकिन फिर दो जमातोंका संबंध हुआ। अुनमें से कुछ मोठे और कुछ कड़वे अनुभव आये और अुसका नतीजा आजका भारतवर्ष है। द्रविड़ लोग यहांके बहुत प्राचीन लोग थे। द्रविड़ों और आर्यों, जिन दोनोंकी संस्कृतिके संगमका लाभ हिन्दुस्तानको मिला और अुससे अेक अैसा मिश्र राष्ट्र बना, जिसमें अुत्तर और दक्षिणके अच्छे अंश अेकसाथ अनजाने मिल गये, अुत्तर और दक्षिण अेक हो गये। अुत्तरके लोग ज्ञान-प्रधान थे, तो दक्षिणके लोग भक्ति-प्रधान थे। जिस तरह ज्ञान और भक्तिका संगम हो गया। लेकिन जिसके बाद यहां जो मिश्र समाज बना, अुसकी व्यापकता भी अेकांगी साबित हुयी।

अिस्लामकी देन

लेकिन बाहरसे मुसलमान लोग यहां आये और अपने साथ अेक नयी संस्कृति ले आये। अुनकी नयी संस्कृतिके साथ यहांकी संस्कृतिकी टक्कर हुआ। मुसलमानोंने अपनी संस्कृतिके विकासके लिअे दो मार्ग अपनाये, अैसा दीखता है। अेक हिंसाका और दूसरा प्रेमका। ये दो मार्ग दो धाराओंकी तरह अेक साथ चले। हिंसाके साथ हम गजनी, औरंगजेब आदिका नाम ले सकते हैं, तो दूसरी तरफ प्रेममार्गके लिअे अकबर और कबीरका नाम ले सकते हैं। हमारे यहां जो कमी थी, वह अिस्लामने पूरी की। अिस्लाम सबको समान मानता था। यद्यपि अपनिषद् आदिमें यह विचार मिलता है, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्थामें जिस समानताकी अनुभूति नहीं मिलती थी। हमने अुस पर अमल नहीं किया था। व्यावहारिक समानताका विचार अिस्लामके साथ आया। अिस्लामके आगमनके समय यहां अनेक जातियां थीं। अेक जाति दूसरी जातिके साथ न शादी-ब्याह करती थी, न रोटी-पानी। जिस तरह जहाँ देखो वहाँ चौखटें बनीं हुयी थीं। लेकिन धीरे-धीरे दो संस्कृतियां नजदीक आयीं। दोनोंके गुणोंका लाभ देशको मिला। जिस सिलसिलेमें जो लड़ाई-झगड़े हुअे और जो संघर्ष हुआ, अुसका अितिहास हम जानते ही हैं। जो लोग यहां आये, अुन्होंने तलवारसे हिन्दुस्तान जीता या हिन्दुस्तानके लोग लड़ाईमें हार गये, यह कोअी नहीं कह सकता। बल्कि लड़ाइयां हुअीं अुसके पहले ही फकीर लोग यहां आये। वे गांव-गांव घूमे और अुन्होंने अिस्लामका संदेश पहुंचाया। यहांके लिअे वह चीज अेकदम आकर्षक थी।

बीचके जमानेमें हिन्दुस्तानमें बहुतसे भक्त हुअे, जिन्होंने जाति-भेदके खिलाफ प्रचार किया और अेक ही परमेश्वरका अुपासना

* ता० २९-५-५१ को वारंगल (तेलंगाना) में दिया हुआ श्री विनोबाकी प्रार्थना-अंशवचन।

पर जोर दिया। जिसमें इस्लामका बहुत बड़ा हिस्सा था। हिन्दु-स्तानको इस्लामकी यह बड़ी देन है। जिस तरह पहले ही जो संस्कृति द्रविड़ और आर्योंकी अच्छाियोंके मिश्रणसे बनी थी, उसमें यह नया रसायन दाखिल हुआ।

पश्चिमका हविर्भाग

जिसके बाद कुल तीन सौ साल पहलेकी बात आती है। युरोपके लोगोंको मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान बड़ा संपन्न देश है और वहां पहुंचनेसे लाभ हो सकता है। इसी समय युरोपमें विज्ञानकी प्रगति भी हुई। वे लोग हिन्दुस्तान आ पहुंचे। हिन्दुस्तानमें अभी तक जो प्रगति हुई थी, उसमें विज्ञानकी कमी थी। यह नहीं कि विज्ञान यहां था ही नहीं। यहां वैद्य-शास्त्र मौजूद था, पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र मौजूद था, लोगोंको रसायन-शास्त्रका ज्ञान था। अच्छे मकान, अच्छे रास्ते, अच्छे मदरसे यहां बनते थे। यानी शिल्प-विज्ञान भी था। अर्थात् हिन्दुस्तान अके असा प्रगतिशील देश था, जहां उस जमानेमें अधिकसे अधिक विज्ञान मौजूद था। लेकिन बीचके जमानेमें यहां विज्ञानकी प्रगति कम हुई। उसी जमानेमें युरोपमें विज्ञानका आविष्कार हुआ और पाश्चात्य लोग यहां आ पहुंचे। अब उनके और हमारे बीच संघर्ष शुरू हुआ। उनके साथका हमारा संबंध कड़वा और मीठा दोनों प्रकारका रहा तथा अब जिस मिश्रणसे अंक और नयी संस्कृति बनी। कुछ मिश्रण तो पहले ही हो चुका था। फिर जो-जो प्रयोग युरोपवालोंने अपने देशमें किये, उनके फलस्वरूप न सिर्फ भौतिक जीवनमें, बल्कि समाजशास्त्र आदिमें भी परिवर्तन हुआ और जैसे-जैसे अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन आदिके विचारोंसे परिचय होने लगा, वैसे-वैसे वहाके नव-विचारोंका संबंध भी बढ़ने लगा। आज हम जहां जाते हैं, वहां सोशलिज्म, कम्युनिज्म आदि पर विचार सुनते हैं। ये सारे विचार पश्चिमसे आये हैं। अब बिन सब विचारोंमें झगड़ा शुरू हुआ है। अक्सर से कचरा-कचरा निकल जावेगा। हमारी संस्कृति कुछ खोयेगी नहीं, बल्कि कुछ पायेगी ही। यही देखो न! हिन्दुस्तानमें — बावजूद जिसके कि पश्चिमके विचारोंका प्रवाह निरंतर यहां आता रहा — पहलेके जमानेमें जितने आध्यात्मिक विचारवाले महापुरुष पैदा हुये, उनसे कम जिस जमानेमें नहीं हुये। यहां नाम गिननेमें तो समय जायेगा। अब जिस समय भी संघर्ष हो रहा है, टक्कर हो रही है, मिश्रण हो रहा है। यह जो बीचकी अवस्था है, उसमें कभी प्रकारके परिणाम होते हैं।

यह तो मैंने प्रस्तावनाके तौर पर अपने कुछ विचार रखे, ताकि हिन्दुस्तानकी हालत आप लोग अच्छी तरह समझ सकें।

कम्युनिस्टोंमें विचारका भुवय

गांधीजीके जानेके बाद जब मैं सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिये, तो मैं निर्वासितोंके काममें लग गया। परंतु यहांके कम्युनिस्टोंके प्रश्नके बारेमें मैं बराबर सोचता रहा। यहांकी खून आदिकी घटनाओंके बारेमें मुझे जानकारी मिलती रहती थी, फिर भी मेरे मनमें कभी घबराहट नहीं हुई। क्योंकि मानव-जीवनके विकासका कुछ दर्शन मुझे हुआ है। जिसलिये मैं कह सकता हूँ कि जब-जब मानव-जीवनमें नयी संस्कृति निर्माण हुई है, तो वहां कुछ संघर्ष भी हुआ है, रक्तकी धारा भी बही है। जिसलिये हमें बिना घबराये शांतिसे सोचना चाहिये और शांतिमय अुपाय ढूंढना चाहिये।

यहां शांतिके लिये सरकारने पुलिस भेज दी है, लेकिन पुलिस कोभी विचारक होती है असी बात नहीं है। वह तो शस्त्रसंपन्न होती है और शस्त्रोंके जोर पर ही मुकाबला करती है। जिसलिये जंगलमें शेरोंके बंदोबस्तके लिये पुलिसको भेजना बिलकुल कारगर हो सकता है, और वह पुलिस शेरोंका शिकार करके हमें उन शेरोंसे बचा सकती है; लेकिन यह कम्युनिस्टोंकी तकलीफ शेरोंकी नहीं, मानवोंकी है। उनका तरीका चाहे गलत क्यों न हो, अजुके जीवनमें

कुछ विचारका अुदय हुआ है; और जहां विचारका अुदय हुआ होता है, वहां सिर्फ पुलिससे प्रतिकार नहीं हो सकता। सरकार यह बात जानती है। बावजूद जिसके, अपना कर्त्तव्य समझकर सरकारने पुलिसकी योजना की है। जिसलिये मैं उसे दोष नहीं देता।

विचार-शोधनका प्रमुख साधन: चरंचेति

तो मैं जिस तरह प्रस्तुत समस्याके बारेमें सोचता था और मुझे तब सूझा कि जिस मुल्कमें घूमना चाहिये। लेकिन घूमना हो तो कैसे घूमा जाय? मोटर आदि साधन विचार-शोधक नहीं हैं। वे समय-साधक हैं, फासला काट सकते हैं। जहां विचार ढूंढना है, वहां शांतिका साधन चाहिये। पुराने जमानेमें तो अूट, घोड़े आदि थे। लोग उनका अुपयोग भी करते थे और रातभरमें दो सौ मील तक निकल जाते थे। परंतु शंकराचार्य, महावीर, बुद्ध, कबीर, चैतन्य, नामदेव जैसे लोग हिन्दुस्तानमें घूमे और पैदल ही घूमे। वे चाहते तो घोड़े पर भी घूम सकते थे, परंतु अुन्होंने त्वरित साधनका सहारा नहीं लिया। क्योंकि वे विचारका शोधन करना चाहते थे। और विचार-शोधनके लिये सबसे अुत्तम साधन पैदल घूमना ही है। जिस जमानेमें वह साधन अकदम सूझता नहीं, परंतु शांतिपूर्वक विचार करें तो सूझेगा कि पैदल चले बिना चारा नहीं है।

वामनावतारका जन्म

जिस तरह मैं वर्षासे शिवरामपल्ली आया और वहांसे यहां तक अब कोअी छः हफ्ते होते हैं। जिस बीच मैंने हर गांवका अधिकसे अधिक परिचय प्राप्त किया। कम्युनिस्टोंके कामके पीछे जो विचार है, उसका सारभूत अंश हमें ग्रहण करना होगा, उस पर अमल करना होगा। यह अमल कैसे किया जाय, जिस बारेमें मैं सोचता था तो मुझे कुछ सूझ गया। ब्राह्मण तो मैं था ही, वामनावतार मैंने ले लिया और भूमिदान मांगना शुरू कर दिया। (अपूर्ण)

शिक्षाके पुनर्गठनकी आवश्यकता

[अच० डी० हाजीस्कूल, शोलापुरके नये कला और अुद्योग-विभागको खुला जाहिर करते हुअे ता० ३-७-५१ के दिन बम्बयीके मुख्य मंत्री श्री बालासाहब खैरने जो भाषण दिया, वह नीचे दिया जाता है। — संपा०]

मुख्य मंत्रीने कहा: "सरकारने माध्यमिक शिक्षणके कार्यक्रममें सामाजिक, सांस्कृतिक और अुद्योगकी प्रवृत्तियोंको महत्त्वका स्थान दिया है। हरअेक राष्ट्रको शिक्षाकी अपनी ही राष्ट्रीय प्रणालीका विकास करना चाहिये। जब तक हमारे शिक्षाका कार्य करनेवाले लोग और शिक्षण-संस्थायें नयी दृष्टि अपनाकर जिस दिशामें आगे नहीं बढ़ते, तब तक जिस क्षेत्रमें कोअी सच्ची प्रगति नहीं हो सकती। हम शिक्षाकी बनी-बनायी प्रणालियां कहींसे अुधार नहीं ले सकते। यह नयी दृष्टि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने दी है। अुन्होंने देखा कि केवल किताबी पढ़ाअी पर अधिकार हो जानेसे हमारे बच्चोंको कोअी लाभ नहीं होता। अुन्हें ज्यादा व्यावहारिक, सर्जक, योग्य और चरित्रवान स्त्री-पुरुष बनना चाहिये।

"कोअी स्वभावतः यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या माध्यमिक स्कूलोंके पाठ्यक्रममें कला और अुद्योगके शिक्षणको शामिल करना जरूरी है? हमारे पहले शासकों (अंग्रेजों) ने देशमें जो पुराने अंग्रेजी स्कूल खोले थे, उनका दृष्टिकोण हमसे सर्वथा भिन्न था। लोग अंग्रेजी शिक्षण लेते थे, क्योंकि उससे उनकी आर्थिक स्थिति और मान-मरतबा बढ़ता था। और जिसलिये काले कोटवाले पेशोंकी ओर लोग बड़ी संख्यामें आकर्षित होते थे। लेकिन हमारे नेताओंने उस समय भी यह महसूस कर लिया था कि हमारे बच्चोंको जो शिक्षण दिया जाता है, वह हमारे देशकी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओंके अनुकूल नहीं है और हमारे बालकोंको स्वावलम्बी, स्वतंत्र विचारके और निडर नागरिक नहीं बनाता।

नयी दृष्टिको ज़रूरत

“सारी दुनियामें आधुनिक शिक्षाने बहुत पहलेसे स्कूलमें प्रत्यक्ष कामको बड़े महत्त्वका स्थान दे रखा है, जब कि हमारे स्कूलोंमें रटाओको ही महत्त्व दिया जाता था और शिक्षाका जीवनसे कोअी संबंध नहीं था। वह किसी काममें पहल करनेवाले, साहसी, योग्य और चरित्रवान मनुष्य पैदा नहीं करती थी, बल्कि, जैसा कि हम कहा करते थे, हमारे बालकों और नौजवानोंमें गुलामीकी मनोवृत्ति पैदा करती थी। हमें वह पुराना दकियानुसी और कायरताभरा सरकारी तरीका छोड़ना पड़ा और नयी दृष्टि अपनाकर नया रास्ता बनाना पड़ा।

शक्तिको अभिव्यक्तिका उत्पादक रास्ता

“आगे बढ़े हुअे देशोंमें शिक्षा संबंधी अेक मुख्य सुधार यह हुआ है कि वहां स्कूलमें अुद्योग या दस्तकारियां दाखिल की गयी हैं। पिछले कअी दशकोंसे आधुनिक शिक्षणका यह माना हुआ सिद्धान्त रहा है कि प्रत्यक्ष और रचनात्मक काम बच्चों और नौजवानोंको खूब ज्यादा अपील करता है। प्रत्यक्ष काम बच्चोंकी जन्मजात अदम्य मानसिक और शारीरिक शक्तिको प्रगट करनेके अुत्पादक रास्ते देता है, जो अैसे कामके अभावमें बुरे रास्ते लग जाती है। आपके ही वर्गमें कुछ विद्यार्थी अैसे हैं, जिन्हें संभालना और सही रास्ते लगाना आप कठिन मानते हैं। अुन्हें आप कोअी अैसी योजना या काम पूरा करनेको दीजिये, जिसमें अुन्हें रस मालूम हो। आप अपने वर्गमें कोअी दस्तकारी दाखिल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वे आपकी आशासे कहीं ज्यादा दिलचस्पीसे अुसे अपनाते हैं। दस्तकारी कामके फायदोंके बारेमें मनोविज्ञान-शास्त्रियों और शिक्षा-शास्त्रियोंके अनुभवके बावजूद हमने लम्बे अरसे तक शिक्षाकी अिस विशेष पद्धतिसे कोअी लाभ नहीं अुठाया। संयुक्त राष्ट्र संघकी शिक्षा, समाज और संस्कृति संबंधी संस्था (यूनेस्को) ने हालमें ही सारे देशोंको यही करनेकी सलाह दी है।

यह अुन्हें व्यावहारिक बनाता है

“दस्तकारी काम निरीक्षणके कीमती मौके देता है और बौद्धिक केन्द्रों पर अुसकी अनुकूल प्रतिक्रिया होती है। यह देखा गया है कि जो बच्चे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, अुन्हें अगर कोअी काम करनेको दिया जाय, तो वे भी ज्यादा प्रगति दिखाते हैं। अिसके अलावा, अुद्योगके दाखिल करनेसे वे व्यावहारिक बनते हैं। अुद्योगसे अगर सचमुच लाभ अुठाना हो, तो अुसे गंभीरतापूर्वक सच्ची भावनासे स्कूलमें दाखिल करना चाहिये। अगर अुसे थोड़ी मात्रामें — जिससे विद्यार्थियोंको कोअी अुत्तेजन न मिले — दाखिल किया गया, तो वह पाठ्यक्रमका अैसा विषय बनकर रह जायगा, जो यंत्रवत् पढ़ाया जाता है। अुससे मूल हेतु सिद्ध नहीं होगा। अुससे हमारे लड़के-लड़कियोंकी बुद्धिको अुत्तेजन मिलना चाहिये; और अुनकी बुद्धिको चुनौती देनेवाले रचनात्मक कामके जरिये अुनकी सारी दृष्टि और अुनका सारा व्यक्तित्व ही बदल जाना चाहिये।

“शिक्षाको जीवनके सच्चे आनन्द और शक्तिसे प्रकाशमान बनानेके लिये यह ज़रूरी है कि हम अपने बच्चोंको प्रत्यक्ष और अुत्पादक काम करने और कुछ अपयोगी और कीमती चीज पैदा करनेकी भावना अनुभव करनेका मौका दें। पाठ्यक्रमको हम पढ़ाये जानेवाले विषयोंका समूहमात्र न मानें, बल्कि अुसे खेलकूद, दिलचस्प काम और रचनात्मक कामका सुंदर संमन्वय समझें। बच्चोंमें शरीर-श्रमकी प्रतिष्ठाकी भावना पैदा करने और अुनकी सर्जनात्मक शक्तियोंको पूरा मौका देनेके लिये अुद्योग काम ज़रूरी है। बर्नार्ड शॉने कहा था: ‘औद्योगिक क्षेत्रोंमें स्कूलोंसे भागकर फैक्ट्रियोंमें जानेकी अिच्छा हमारे बच्चोंमें अिसलिये पैदा नहीं होती कि वहां अुन्हें स्कूलसे ज्यादा हलके काम

करनेको मिलते हैं या कम समय तक काम करना पड़ता है; न तनखाहके लालच या नयेपनके कारण ही अुनमें वह पैदा होती है। दरअसल अुनमें यह अिच्छा अिसलिये पैदा होती है कि बड़ोंके कामकी प्रतिष्ठा अुन्हें आकर्षक लगती है और ज़रूरतके सख्त लेकिन गौरवपूर्ण दबाव — जिसके सभी मानव शिकार होते हैं — को स्वीकार करके वे स्वेच्छाचारी स्कूलमास्टरके अपमान-भरे व्यवहारकी संभावनासे, जिससे बड़े लोग मुक्त होते हैं, बच जाते हैं।’

“मेरे विचारसे बर्नार्ड शॉके अिस कथनमें बहुत कुछ सचाओ है। खास ध्यान देने लायक बात अुद्योगका शैक्षणिक और अुत्पादक पहलू है, जिसकी किसी भी हालतमें अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। अुद्योगकी शिक्षा दिखावे या प्रदर्शनके लिये नहीं है, बल्कि सच्ची शिक्षा और दूसरे विषयोंकी प्रगतिमें मदद पहुंचानेके लिये है।

कलाकी शिक्षा

“जो बात अुद्योगके लिये सच है, वही कम-ज्यादा रूपमें कलाके लिये भी सच है। स्कूलोंमें कलाकी शिक्षाका भी जीवनसे और दूसरे विषयोंसे संबंध होना चाहिये। माध्यमिक स्कूलोंके पहले तीन दर्जोंके लिये शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिसे अनुकूल अुद्योग चुननेके हेतुसे सरकारने अेक कमेटी बनाओ थी। अिस कमेटीने तीन बुनियादी अुद्योगोंके अलावा दूसरे नौ अुद्योगोंकी सिफारिश की है। अिन अुद्योगोंके लिये शिक्षकोंको तालीम देनी होगी। सरकार सरकारी और गैरसरकारी स्कूलोंके शिक्षकोंको थोड़े समयकी ट्रेनिंग देनेके लिये पांच केन्द्र चला रही है। आशा है, आपका स्कूल पहले ही वहां अपने शिक्षकोंको भेजकर तालीम दिला चुका है।

“अुद्योग काम माध्यमिक शिक्षामें हुअे व्यापक सुधारोंका केवल अेक अंग है। यहां बच्चोंको अपना झुकाव जाननेके लिये कुछ मार्गदर्शन और मदद मिलनी चाहिये। यहां अुन्हें अेक स्वतंत्र देशके नागरिकोंके कर्तव्यों और जिम्मेदारियोंका ज्ञान होना चाहिये। यहां कअी तरहके खेलों द्वारा अुन्हें अपनी शरीरसंपत्ति बढ़ानी चाहिये और खिलाड़ियोंकी तरह मिलजुलकर काम करनेकी भावना अपनेमें पैदा करनी चाहिये। और यहां अुन्हें व्यक्तिगत अनुभवसे समाज-जीवनकी जिम्मेदारियां निभाना सीखना चाहिये। यहां अुन्हें कला और संगीतके जरिये अपने भावों और विचारोंको व्यक्त करनेका संतोष भी प्राप्त करना चाहिये।

“अीमानदारी, बुद्धिमानी और अनुशासनके साथ अिन प्रवृत्तियोंका पोषण किया जाय, तो वे चरित्र निर्माण करनेवाली हैं। वे अनुकूल वातावरण तैयार करेंगी और स्कूलका नैतिक स्तर अूँचा अुठायेगी — जिनका विद्यार्थियों पर अनजानमें जबरदस्त असर पड़े बिना नहीं रहेगा — और विद्यार्थियोंके लिये नैतिक और मजबूत नींवका काम देंगी।”

(अंग्रेजीसे)

हमारे नये प्रकाशन

गांधी और साम्यवाद

[श्री विनोबाकी भूमिका सहित]

लेखक: किशोरलाल मशरूवाला

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-४-०

बापूके पत्र मीराके नाम

कीमत ४-०-०

डाकखर्च ०-१२-०

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-९

हरिजनसेवक

२२ सितम्बर

१९५१

नियंत्रण और शुद्ध व्यवहार

रांचीके अंक भाजी श्री किशोरलाल मशरूवालाको लिखे हुए अपने पत्रमें लिखते हैं:

“आपने अपने अंक लेखमें (कांग्रेसका घोषणा-पत्र — १, हरिजनसेवक, २८ जुलाई '५१) लिखा है:

“जो लोग कंट्रोलोंका विरोध करते हैं, उन्हें भी यह तो मानना ही चाहिये कि कालाबाजार और रिश्वतखोरीके लिये कंट्रोलोंके होनेका बहाना नहीं लिया जा सकता। नागरिक-धर्म और प्रामाणिक जीवनके लिये शुद्ध व्यवहारका और कितनी भी अड़चनोंके बावजूद कानूनके पालनका पूरा प्रयत्न तो हरअंक नागरिकको करना ही चाहिये। यह सच-मुच शब्दशः अुचित है। लेकिन यदि कानून ही जिस तरहका बेढंगा और अव्यावहारिक हो, तो कोभी किस प्रकार उसे माने? सभीको अपनी जीविका अुपार्जन करनी है, अपने परिवारके प्रति भी सबका कर्तव्य है। हमने जिस क्षेत्रमें लगभग दो वर्षोंसे कार्य किया है और हम जिस अनुभव पर पहुंचे हैं कि कंट्रोल ही अंकमात्र कारण है देशके लोगोंके चरित्रको भ्रष्ट करनेका, लोगोंको पथभ्रष्ट करनेका। जिसमें सरकारका पहले और अधिक हाथ है, फिर जनता करती है अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये बाध्य होकर। आप यह न समझें कि मैं अपने व्यक्तिगत लाभके लिये आपको यह लिख रहा हूँ, बल्कि वास्तविकताका अंक स्पष्ट अुदाहरण आपके सम्मुख रखता हूँ। आप स्वयं विचार करें।

“जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, हम अंग्रेजों द्वारा शासित थे, दूसरा महायुद्ध भी नहीं छिड़ा था, उस समय भी लोग कृषि अवं व्यापार और नौकरीके जरिये अपने अवं परिवारके भरण-पोषणके लिये आजीविका प्राप्त करते थे। अितना अधिक भ्रष्टाचार जनतामें नहीं था। लोग धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, अुचितानुचितको समझते थे। लोग शुद्धतासे अपनी आजीविका अुपार्जित करते थे। उस समय सभी चीजोंका मूल्य भी अत्यधिक न्यून था। किन्तु दूसरे महायुद्धके आरम्भ होनेके बाद जबसे देशमें जिस कंट्रोलका जन्म हुआ है, तबसे अब तक जनतामें से कुछ लोगोंने तो अवश्य अधिकाधिक धन कमाया है—अनुचित तरीकेसे, अधिकारियोंसे मिलकर; लेकिन अधिकांश लोग निराधार छोड़ दिये गये। अुनके लिये कोभी अंसी व्यवस्था न छोड़ी गयी, जिसके द्वारा वे कानूनका पालन करते हुए अपनी और अपने परिवारकी रक्षाके लिये कुछ कमा सकें।

“रांची जिलेमें बिहार सरकार द्वारा 'मोनोपॉली प्रोक्युरमेन्ट ऑर्डर' अवं 'फूडग्रेन कंट्रोल ऑर्डर' का कानून २५ वीं नवम्बर १९४९ से लागू है। अुसके अनुसार कोभी भी आदमी अंक मन चावल या डेढ़ मन धानसे अधिक सरकारी अजेन्टके अलावा दूसरेको नहीं बेच सकता है। रांची शहरमें भी यह लागू है। यहां चावल पैदा नहीं होता। देहातोंसे बैलगाड़ियोंके द्वारा आकर यहांके गोलोंके मारफत बिका करता था। जिसका साधारण तरीका यह था कि लोग टोकरीयोंसे देहातके बाजारोंमें चावल

लाते थे और वहां वे अुसे फड़िया (छोटे-छोटे) व्यापारी लोगोंके हाथ बेच देते थे। फड़िया लोग गाड़ीवानोंके हाथ बेचते थे। फिर गाड़ीवान अपनी बैलगाड़ियों द्वारा शहरमें चावल लाते और गोलोंमें रखते थे। वहां अदतिया अुनके चावलको शहरके दुकानदारोंके हाथ बेचते थे। खुदरा दुकानदार गोलोंसे अपने स्थान पर ले जाकर हर मुहल्लेमें बेचा करते, तब खानेवाले घर बैठे आसानीसे चावल पाते थे। देहाती गाड़ीवान बदलेमें शहरसे दूसरा सौदा यानी दाल, नमक, कपड़ा तेल, मसाला वगैरा लेकर वापस देहातके बाजारोंमें पहुंचाकर अपनी और जनताकी सेवा करता, और अपने पशुओंकी आजीविका कमाया करता था। अंसा वह प्रति सप्ताह किया करता था। किन्तु अुपरोक्त कानूनके जरिये यह सारी व्यवस्था तहस-नहस कर दी गयी। अंक बैलगाड़ीमें करीब २० मन बोझ लादा जाता है। अुपरोक्त कानूनके अनुसार कोभी अंक मन चावल या डेढ़ मन धानसे अधिक, सरकारी अजेन्टके सिवाय, खरीद या बिक्री नहीं कर सकता। अब आप ही बतायें कि किस प्रकार अंक गरीब अपनी आजीविका अुपार्जन करे और अपने परिवार और पशुओंका पालण-पोषण करे? बेचारा गरीब न तो अपनी आवाज कहीं पहुंचा सकता है और न कोभी अुसकी सुननेवाला ही है। यदि कहींसे जिसका कुछ प्रतिकार भी होता है—आवाज अुठाअी जाती है—तो हमेशा हमारे नेता, सरकार और अधिकारी अंकदम अनसुनी करते हैं। यहां अंक बात और भी लिखनी है। वह यह है कि यहां कुछ लोग जिस कानूनकी अव्यावहारिकताके कारण अुसके खिलाफ, सरकारी टेक्सोंकी रक्षा करते हुअे, चावलका व्यापार खुले रूपसे करना चाहते हैं। परंतु यहांके सरकारी कर्मचारी रोड़ा अटकाते हैं, जिससे नाजायज व्यापारको प्रोत्साहन मिलता है।”

जिस पत्रका विषय बड़े महत्त्वका है। अुस पर गंभीरतासे विचार करना जरूरी है। पहले तो हम यह सोचें कि सरकारको अंसे अटपटे नियम क्यों बनाने पड़ते हैं कि जिससे लाखों लोगोंको तंग होना पड़े? सरकार जो व्यवस्था करती है, अुसे अ्धार जनता अीमानदारीसे निमानेको तैयार हो, तो अंसे कड़े नियम बनानेकी जरूरत ही न रहे। जेलमें हजारों कैदी रहते हैं और भागनेका प्रयत्न कोभी क्वचित ही करता है, तथापि नियम अंसे बनाये गये हैं कि अुनसे भले-बुरे सब कैदियोंको तकलीफ भोगनी पड़ती है। यहां ट्रोलके कंकानूनमें तो हम देखते हैं कि बहुतसे लोग अुन्हें टालनेकी ही कोशिश कर रहे हैं। जिस दशामें हम सरकारको भी कितना दोष दें? अगर हम अुसे विश्वास दिला सकें कि अुसकी व्यवस्था ठीक तरहसे निभ जायगी, लोग अुसमें अीमानदारीसे संहयोग देंगे, तो मैं समझता हूँ कि सरकार अंसे योग्य नियम बना सकेगी जिनसे लोगोंको कमसे कम तकलीफ हो। हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारको अंसी मदद करते रहें।

अंग्रेजी सल्तनतने भारतकी आजादीके प्रयत्नको कुचलनेके लिये लोगोंको अपमानित करने और जेल भेजनेके अिरादेसे ही पुलिस-कौकियों पर हाजिरी देना आदि दुष्ट नियम बनाकर नये-नये अपराध खड़े कर दिये थे। वंसे कानूनको तोड़ना हमारा धर्म ही था। अब तो हमारी ही सरकार है। अुसके और जनताके हितोंमें विरोध नहीं है। सामान्यतः कानून सरकारी दृष्टिसे जनताके हितमें ही बनाये जाते हैं। जिसलिये अुन्हें तोड़नेका विचार हम सहसा कदापि नहीं कर सकते। फिर भी अंसे कभी अुदाहरण हैं कि जहां मन अुद्विग्न हुअे बिना नहीं रहता। जिन भाजीने जिस दिक्कतका अुल्लेख किया है, वंसी पर अन्य तरहकी दिक्कतें बड़ी आरी संख्यामें जहां तहां मौजूब हैं। लोग मार्गदर्शन चाहते हैं।

कानून तोड़नेकी सलाह नहीं दी जा सकती, और हम जानते हैं कि उसका पालन करना भी मुश्किल है। यह समस्या कैसे हल की जाय? और उस दशामें जब कि अैसे नियम बनानेमें ही सरकारने गलती की हो। कभी-कभी सरकार अपनी आर्थिक नीतिकी धुनमें गरीबोंका खयाल नहीं करती। जैसे कि पिछले दिनों कोल्हूसे गुड़ बनानेकी मनाही कर दी गयी थी। कभी-कभी सरकारी कर्मचारी व्यवहार न जाननेके कारण या स्वार्थी सलाहकारोंके बहकावेमें गलत नियम बना देते हैं या स्वार्थी कर्मचारी अच्छे नियमोंका पालन करनेकी अवहेलना करते हैं। कभी-कभी सरकार ही अंसी परिस्थिति खड़ी कर देती है कि उसका कानून तोड़े बिना चारा ही नहीं रहता। पिछले दिनों चनेके भावका नियंत्रण किया गया था। बहुतसे लोग कहते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत मान भी लें, तो उसी समय चनेकी दालका भाव भी नियंत्रित कर देना चाहिये था। पर अंसा नहीं किया गया। चनेका अप्रयोग प्रायः दालके रूपमें ही होता है और चनेसे दाल बनाना बिल्कुल आसान है। परिणाम यह हुआ कि चना कालेबाजारमें अधिक भावसे बिकता रहा और चनेकी दाल खुले बाजारमें उसी ज्यादा भावके आधार पर बिकती रही। व्यापारियोंने खुले आम अूचे भावसे चनेकी दाल खरीदी। उसके अुनके स्थान पर बेचनेके लिये पहुंचते-पहुंचते तो दालका भाव भी चनेके नियंत्रित भावके आधार पर ही सरकार द्वारा नियंत्रित कर दिया गया। इससे व्यापारियोंको अपनी पूंजीका अेक-तिहाई हिस्सा खोनेकी नौबत आ गयी। दिवाला निकालनेकी अपेक्षा अुन्होंने बेहतर समझा कि कालेबाजारमें दाल बेचकर अपनी अिज्जत बचा लें। इसी प्रकार कुछ चीजोंके भाव अैसे मुकर्रर किये गये हैं कि जहां वह चीज पैदा होती है और जहां अुसे सैकड़ों मील किराया आदि खर्च करके बेचनेके लिये ले जाना पड़ता है, अुन दोनों जगह अुसके भाव अेकसे हैं। सोचिये, अंसी दशामें व्यापार कैसे चल सकता है?

सामान्य लोग मानते हैं कि चीज सस्ती-महंगी बेचना व्यापारका अेक मामूली सिलसिला है। मांगके अनुसार भाव कम-ज्यादा होते ही रहते हैं। जहां ज्यादा मुनाफा करनेकी दृष्टि हो, वहां तो हम अुसे दोष दें। पर व्यापारीके केवल पेट भरने योग्य मुनाफेमें दोष क्यों मानें? लोग यह भी बहस करते हैं कि यह तो केवल नाम-मात्रका अर्थात् केवल कानूनका बनाया गुनाह है। वास्तवमें इसमें नैतिक दोष है ही नहीं। हमें यह समझ लेना चाहिये कि अंसे कानूनोंके पीछे भी समाज-हितकी ही दृष्टि रहती है, इसलिये अुन्हें तोड़ना योग्य नहीं है और अंसा व्यवहार अशुद्ध है।

फिर भी यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि अूपर लिखी हुयी समस्या — कानून तोड़े बिना चारा ही नहीं — का हल क्या है? कानून तोड़ने पर भी सजा टालना चाहते हैं अर्थात् कानूनका भंग छिपाना चाहते हैं, यह तो दोष ही है। क्या अपनी सुविधाके लिये असत्यका पाप करके अपनी नैतिकता भी खोवें? अंसी दशामें सलाह तो यही हो सकती है कि अगर कानून तोड़ना ही पड़े तो अुसे छिपावें नहीं; अुसके लिये जो सजा भुगतनी पड़े वह सहन करनेके लिये तैयार रहें। मामूली आदमी तो यह सलाह नहीं पचा सकेगा। जिसे नैतिकताकी विशेष लगन है, वही अंसा कदम अुठा सकेगा। अुसके इस कदमका सरकारी कर्मचारियों पर यह असर होना संभव है कि अुन्हें अपने अयोग्य नियम रद्द करने पड़ें। शुद्धव्यवहार आन्दोलनके सिलसिलेमें अंसे जो कभी पेचीदे प्रश्न खड़े होते हैं, अुनमें अंसा दीखता है कि अंतमें सत्याग्रहका आसरा लेना पड़े। सत्याग्रह करनेकी योग्यता किसकी मानें, किस विषयको लेकर करें, आदि प्रश्न अलग हैं। जो कोअी अंसा विचार करेगा, वह अिसके जानकारोंसे भी सलाह कर लेगा। परंतु नैतिकता बचानेकी दृष्टिसे यह आवश्यक दीखता है कि जिन्हें

अशुद्धता चुभती है, अुनको कानून तोड़ना ही पड़े तो वे अुसको प्रगट करके अुसका प्रायश्चित्त करें।

सेवाग्राम, ३१-८-५१

श्रीकृष्णदास जाजू

[टिप्पणी: श्री जाजूजीने सत्याग्रहकी संभावनाका अिशाारा किया है, और अुसके लिये आवश्यक पूर्व-शर्तें भी बतायी हैं। यह याद रखना चाहिये कि शुद्धव्यवहार आन्दोलन अुसकी अेक जरूरी पूर्व-शर्त है। सत्याग्रहकी प्रखर प्रामाणिकता और ध्येयकी पवित्रता, अिन दोके बल पर ही सफल सत्याग्रह चलता है। सत्याग्रहकी कोटिकां कोअी कदम अुठाया जाय, अुसके पहले अपनी शिकायतोंका निवारण कानूनी अुपायों द्वारा करनेकी पूरी कोशिश करना जरूरी होगा। शिकायतोंके निवारणकी मांग तभी सफल हो सकती है, जब कि अंज्रह अंसे लोगों द्वारा पेश की गयी हो, अिनके चरित्रकी समाजमें साख है, और अिनके बारेमें यह विश्वासके साथ कहा जा सकता है कि वे प्रामाणिक हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि जो लोग प्रामाणिक जीवन जीना चाहते हैं, वे अपने स्थानीय मंडल बनायें, रोजके जीवनमें अेक-दूसरेकी मदद करें और अेक-दूसरेकी धर्म-बुद्धि जाग्रत रखनेमें सहायक बनें।

१३-९-५१

— कि० घ० म०]

महात्मा गांधी और शराबबन्दी

स्वस्थ दिमागवाला कोअी भी व्यक्ति यह विश्वास नहीं करेगा कि महात्मा गांधीने, दलित और पिछड़े हुअे लोगोंका कल्याण ही अिनके जीवनका ध्येय था, कानून द्वारा शराबबन्दी दाखिल करनेको नापसंद किया होता। यह विचार भी पीड़ित जनताके रक्षक और अुद्धारकके साथ अन्याय करनेवाला है। अिसके बावजूद शराबबन्दीके विरोधी गांधीजीके साहित्यमें व्यर्थ अंसी कोअी चीज ढूढ़नेका प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे अुनका हेतु सिद्ध हो सके; और अुस व्यर्थके प्रयत्नमें वे कभी-कभी पूर्वापर संबंधसे अलग करके भी अुनके लेखों वगैरसे कुछ अुद्धरण पेश करते हैं।

अनिवार्य भी की जा सकती है

दुर्भाग्यसे जो बातें कहनेका आरोप अुन पर किया जाता है, अुनका विरोध करनेके लिये आज महात्माजी जीवित नहीं हैं। फिर भी, अिस बारेमें अुनके क्या विचार थे, यह बतानेवाले चाहे जितने अुद्धरण 'यंग अिडिया' में छपे अुनके लेखों, भाषणों वगैरसे हमें मिल सकते हैं। अुनसे यह साफ मालूम होता है कि महात्माजी न सिर्फ संपूर्ण शराबबन्दी करनेके पक्षमें थे, बल्कि कानून द्वारा भी यह सुधार करानेके हामी थे। क्योंकि वे कहते हैं: "आप अिस भ्रमपूर्ण दलीलसे धोखा नहीं खायेंगे कि हिन्दुस्तानमें जबरन् शराबबन्दी नहीं की जानी चाहिये और जो शराब पीना चाहें, अुनके लिये यह सुविधा कर दी जानी चाहिये। राज्यको अपनी प्रजाके दुर्गुणोंका पोषण नहीं करना चाहिये। चोर चोरी करनेकी अपनी वृत्तिको संतुष्ट कर सकें, अिसलिये हम अुन्हें चोरी करनेकी सुविधा नहीं देते। शराबको मैं चोरीसे और शायद बेध्यागमनसे भी ज्यादा निन्दनीय मानता हूँ। क्या वह अकसर दोनोंकी जननी नहीं है? (यंग अिडिया, २३-२-२२)

जनमत जरूरी नहीं

महात्मा गांधीका यह दृढ़ मत था कि शराबबन्दीके सवाल पर जनमत लेनेकी कोअी जरूरत नहीं, क्योंकि अुनके मतके अनुसार शराब और दूसरी नशीली चीजोंका व्यसन हर जगह दुर्गुण माना जाता है। वे २२-४-२६ के 'यंग अिडिया' में कहते हैं: "पश्चिमके देशोंकी तरह शराब पीनेकी हिन्दुस्तानमें फैशन नहीं है। अिसलिये हिन्दुस्तानमें अिस प्रश्न पर जनमत लेनेकी बात करना अिस समस्याके साथ खिलवाड़ करने जैसा है।" इसी कारणसे गांधीजी

मानते थे कि हिन्दुस्तान संपूर्ण शराबबंदीके लिये दुनियामें सबसे आशाप्रद देश है।

महात्मा गांधीकी दृष्टिमें शराब पीना चोरीसे भी बुरा गुनाह था, जिसलिये वे जिस दलीलको कभी नहीं मानते थे कि शराबबंदी किसी तरह लोगोंके अधिकारोंमें दस्तंदाजी करती है। जिस मुद्दे पर वे बहुत जोर देते थे। उन्होंने कहा है: "शराबबंदी लोगोंके अधिकारोंमें दस्तंदाजी करती है, यह दलील अतनी ही दोषपूर्ण है जितनी यह कि चोरीको रोकनेवाले कानून चोरके चोरी करनेके हुकममें दस्तंदाजी करते हैं। चोर सब दुनियावी चीजें चुरा लेता है, जब कि शराबी अपनी और अपने पड़ोसीकी विज्जतकी चोरी करता है।" (यंग विडिया, ६-१-२७)

वे क्या करते?

शराबबंदीके अमलके लिये राज्यतंत्रका अुपयोग करनेके बारेमें गांधीजीकी स्वीकृति ८-८-२० के 'यंग विडिया' में छपे अुनके अेक लेखमें से दिये गये नीचेके अुद्धरणमें मिल सकती है: "मैं आगमें या गहरे पानीमें घुसते हुअे मेरे बच्चोंको जबरन रोकनेमें हिचकिचाता नहीं। लाल पानी (शराब) में घुसना जोरोसे जल रही भट्टी या पूर आभी हुअी नदीमें घुसनेसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरे दो तो केवल शरीरका ही नाश करते हैं, लेकिन शराब शरीर और आत्मा दोनोंका नाश कर डालती है।"

फिर वे कहते हैं: "अगर अेक घंटेके लिये मुझे सारे हिन्दुस्तानका सर्वसत्ताधारी बना दिया जाय, तो सबसे पहले मैं बिना मुआवजा दिये शराबकी सारी दुकानें बन्द कर दूँ, गुजरातमें जहां भी ताड़के पेड़ हों सबको नष्ट कर दूँ, कारखानोंके मालिकोंको अपने मजदूरोंके लिये कारखानोंमें मनुष्यके लायक ज्यादा अच्छी हालत पैदा करनेके लिये मजबूर करूँ और अैसे अुपहार-गृह और मन्दिरजन-गृह खलवाऊँ, जहां मजदूरोंको निर्दोष पेय और निर्दोष मनोरंजन मिल सके। अगर मालिक पैसेकी तंगीकी दलील दें, तो मैं कारखानोंको बंद कर दूँ। शराबका संपूर्ण त्याग करनेवाला होनेके कारण अेक घंटेकी तानाशाही मिलनेके बावजूद मैं अपना विवेक नहीं खोऊँगा। जिसलिये मैं राज्यके खर्चसे होशियार डॉक्टरों द्वारा अपने युरोपियन दोस्तों और बीमार लोगोंकी, जिन्हें दवाके तौर पर ब्रान्डी या वीसी ही दूसरी चीजोंकी जरूरत हो, जांच कराऊँ और जहां जरूरी हो वहां अुन्हें प्रमाणपत्र दिलानेकी व्यवस्था करूँ, ताकि वे निश्चित मात्रामें दवाके प्रमाणित व्यापारियोंसे ब्रान्डी, रम वगैरा खरीद सकें। आवश्यक परिवर्तनके साथ यह नियम अफीम, गांजे वगैरा नशीली चीजोंको भी लागू होगा।" (यंग विडिया, २५-६-३१)

पापका पैसा

सरकार राष्ट्रोन्नतिके कामोंमें पापके पैसेका अुपयोग कर, जिसका हमारे राष्ट्रपिताने सदा विरोध किया। जिस संबंधमें वे अपना दृष्टिकोण बड़े जोरदार शब्दोंमें रखते हुअे कहते हैं: "यह अंसी आय है, जिसका त्याग ही कर देना चाहिये। और जब तक वह चालू रहती है, तब तक पवित्र मानी जानी चाहिये और पूरी तरह शराबकी बुराईको मिटानेमें ही खर्च की जानी चाहिये। लेकिन आज अुसका अुपयोग हमारे बच्चोंको पढ़ानेमें किया जाता है। नतीजा यह है कि जिस शराबबंदीके जरूरी कानूनके रास्तेमें अेक जबरदस्त रुकावट खड़ी हो गयी है। लोगोंको अैसा समझाया जाता है कि अगर यह आय बंद हो गयी, तो वे अपने बच्चोंको पढ़ा नहीं सकेंगे। अगर किसी तरह बेरोकटोक काम चलता रहा, तो संभवतः अेक संपूर्ण राष्ट्र नष्ट हो जायगा। अगर यह बुराई फैल जाय, तो कानून बनानेका मौका भी हाथसे चला जायगा।" (यंग विडिया, ११-४-२९)

(अंग्रेजीसे)

संविधानकी हिन्दी

मैं श्री म० प्र० देसाजीका ता० २३-६-५१ के 'हरिजन' में प्रकाशित लेख ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ। मैं अुनके साथ जिस बात पर अपनी सहमति अेकदम जाहिर कर सकता हूँ कि संविधानकी हिन्दीको (जैसा कि मैंने कभी बार कहा है) सार्वदेशिक होना चाहिये; दिल्ली, लखनऊ या रांयपुरमें अुसका जो रूप हो गया है, वह प्रादेशिक हिन्दी मान्य होनी चाहिये। अुसे सर्वसंग्राहक होना चाहिये। भारतकी सब बड़ी भाषाओंसे अपनी समृद्धिके लिये अुसे निःसंकोच पूरी मदद लेनी चाहिये। विरोधकी शांति और भारतकी सारी बड़ी राज्यभाषाओंके लिये पारिभाषिक शब्दावलीकी अेकता पर पहुंचनेकी यही अेक कुंजी है। यदि भारतको अेक संयुक्त राष्ट्रकी तरह चलना है, तो यह अेकता आवश्यक है। न्यायालयों या विद्यालयोंमें जिनका अुपयोग होना है, अैसे शब्द (जिनमें कोअी पारिभाषिक अर्थ होता है) हमारी सब भाषाओंके लिये अेक ही होने चाहिये। नहीं तो बड़ी अुलझन पैदा होगी और गड़बड़ी मचेगी। हमारा पारिभाषिक शब्द अैसा होना चाहिये कि वह हिन्दी, मराठी, बंगला तथा भारतकी दूसरी भाषाओंमें अेक ही अर्थका सूचन करे। हिन्दीको अपना विकास जिसी दिशामें बढ़ते हुअे करना है तथा अनुच्छेद ३५१ में दिया गया आदेश यही है।

संविधानका हिन्दी रूपांतर करनेके लिये बनायी गयी समितिके सदस्य आदेशके जिसी आशयको निगाहमें रखकर चुने गये थे। जिस हिन्दी समितिमें दूसरी भाषाओंके प्रसिद्ध विद्वान भी थे। अध्यक्षको छोड़कर बाकी सात सदस्योंमें से पांच दूसरी भाषाओंके निष्णात थे: डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी, प्रो० य० र० दाते, श्री म० सत्यनारायण, न्यायमूर्ति वा० र० पुराणिक और प्रो० म० मुजीब (जिन्होंने बादमें समिति छोड़ दी)। जिसके सिवाय परिशिष्ट ८ में जो भाषाओं की गयी हैं, अुनके विशेषज्ञोंका (जिनकी संख्या ४५ थी) अेक सम्मेलन भी बुलाया गया था, जिसका अुद्देश्य यह था कि वह संविधानके हिन्दी अनुवादमें आनेवाले शब्दों पर जिस दृष्टिसे विचार करे, कि सब भाषाओंमें से ज्यादा भाषायें कौनसा शब्द स्वीकार करनेके लिये तैयार होंगी और फिर अुन पर अपनी आखिरी सहमति दे। संविधानके हिन्दी अनुवादमें जिन स्वीकृत शब्दोंका ही अुपयोग हुआ है, जिसलिये यह हिन्दी अनुवाद-अनुच्छेद ३५१ में जो आदेश दिया गया है, अुसका प्रयोगसिद्ध और प्रत्यक्ष नमूना है तथा सार्वदेशिक हिन्दीके भावी विकासके लिये अुसे अनुकरणीय माना जाना चाहिये। कोअी भी पुस्तक, अुसका अपना मूल्य जो भी हो, यदि जिस आदर्शका बहिष्कार करती है, तो वह सार्वदेशिक या राष्ट्रीय हिन्दीकी होनेका दावा नहीं कर सकती।

हमारी खुशकिस्मती है कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी विवादका कायमके लिये अंत हो गया है और अुसे दुबारा छेड़नेसे कोअी लाभ नहीं होगा। लेकिन जिस विषय पर श्री देसाजीकी दलीलमें, मुझे लगता है कि अेक गलतफहमी है और मैं अुसे दूर करनेकी कोशिश किया चाहता हूँ। अनुच्छेद ३५१ में अुल्लिखित हिन्दुस्तानी सार्वदेशिक हिन्दी या बकौल श्री देसाजी '३५१ वीं धाराकी हिन्दी' नहीं है। अनुच्छेद ३५१ में अुल्लिखित हिन्दी और हिन्दुस्तानी दोनों अेक ही नहीं हो सकती। अैसा किया जाय, तो वह सारा अनुच्छेद अर्थ-शून्य हो जाता है। आप अनुच्छेद ३५१ में आये 'हिन्दुस्तानी' शब्दकी जगह 'हिन्दी' शब्द रखकर देखिये, तो यह अर्थशून्यता स्पष्ट हो जाती है। संविधान सभाकी नियमावलीके नियम ३० में हिन्दुस्तानी शब्दका अुपयोग हिन्दी और अुर्दू दोनोंके सामान्य वाचककी तरह हुआ है। हिन्दुस्तानीका मतलब हिन्दी और अुर्दूका वह स्थानीय मेल है, जिसका अुपयोग साधारण बोलचालमें दिल्लीके आसपास तथा और जगहोंमें होता है। यह निश्चित है कि अुसका आशय

आजकलकी या संविधानके अनुच्छेद ३५१ में जिसकी कल्पना की गयी है, वह बन रही राष्ट्रभाषा नहीं है।

धनश्यामसिंह गुप्त

[नोट : हमारी राष्ट्रभाषाका नाम और रूप क्या हो, जिस पर विवाद चलानेकी मेरी अिच्छा नहीं होती। भाषाके निर्माणमें जिन कारणोंका योग होता है, उनमें अंक बड़ा कारण विद्वान हैं, और दूसरा बड़ा कारण जनप्रिय लेखक तथा वह जनता है जो उन भाषाओंको बोलती है। कभी वे अिन पर हावी हो जाते हैं, कभी ये अिन पर। कभी अिनकी चलती है, कभी अिनकी। और कभी-कभी दोनों साथ-साथ अपनी-अपनी चलते रहते हैं। भाषाकी रचनामें बहुत ज्यादा हिस्सा तो अिन जनप्रिय लेखकों और कवियोंका होता है, जिन्हें जनता बहुत पढ़ती है। अिनके चलाये अशुद्ध प्रयोग भी चल जाते हैं और विद्वान या वैज्ञानिक भी अन्हें रोक नहीं पाते।

पारिभाषिक शब्दावलीमें भी, यद्यपि समानताका काफी महत्त्व है, और अुसके लिये भरसक कोशिश होनी चाहिये, अुसी अंक चीज पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। और यह भी हो सकता है कि हमारे बहुत सावधानीसे गढ़े गये शब्द भी बादमें गलत या असुविधाजनक साबित हों। अिसके सिवाय, शुद्ध वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द अकसर बहुत लम्बे-लम्बे और अैसे किताबी होते हैं कि वैज्ञानिक पुस्तकोंमें भी अउनका लगातार बार-बार अुपयोग नहीं किया जा सकता; और अिसलिये बहुतसी चीजोंको कोअी छोटा चालू नाम देना पड़ता है, जिसका प्रयोग सब आसानीसे कर सकें। Organic और Inorganic chemistry तथा Positive और Negative Electricity आदि शब्द अिन वैज्ञानिक पारिभाषाओंके अुदाहरण हैं, जो बादमें अनिश्चित मानी गयीं। लेकिन अितने दिनोंके अुपयोगसे अब वे आसान बन गये हैं और अउनके लिये जो नये शब्द : 'Chemistry of carbon compounds' और 'Non-carbon compounds' तथा 'Cathode और Anode' दिये गये हैं, वे अब अन्हें अपनी जगहसे हटा नहीं सकते। सैकड़ों Carbon-compounds के पूरे पारिभाषिक नाम अुसी तरह नहीं लिये जा सकते, जैसे कि षष्ठ जाजके सारे क्रिश्चियन नाम नहीं लिये जा सकते। अिस तरह अउनके प्रचलित नाम ही मान्य हो जाते हैं। और आजकल तो यह रीति चल पड़ी है कि बड़े-बड़े नामोंकी जगह अउनके आरम्भिक अक्षरोंसे बने अुअे नाम ही चलते हैं; जैसे, 'यू० अेन०', 'अे० आअी० अेन० अी० सी०', 'अे० आअी० सी० सी०' अित्यादि। अंग्रेजी 'Financial' शब्दके लिये अारतके सब विद्वानोंने 'वित्तीय' शब्द तय किया हो और गुजरातीके सारे वैयाकरण निःसन्देह 'नाणाकीय' शब्दको बिलकुल अशुद्ध बतायेंगे, लेकिन 'वित्तीय' शब्द गुजरातकी प्रचलित बोलीसे 'नाणाकीय' को शायद नहीं हटा सकेगा। 'अिच्छनीय' व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध है। लेकिन गुजरातमें कोअी लेखक अुसकी जगह 'अेषणीय' कहे, तो वह पोथी-पण्डित माना जायगा। भाषाअें ज्यामितिकी आकृतियोंके नियम मानकर नहीं चलतीं। तो हम सब अुत्तम भाषा गढ़नेकी कोशिश करें, लेकिन अगर अुसमें कभी-कभी दो भाषाओंके योगसे बने अुअे या अशुद्ध या अंक ही अर्थके लिये अनेक प्रयोग आ जाते हैं, तो हम अुसकी चिन्ता न करें और न अुस पर झगड़ें ही।

अनुच्छेद ३५१ में आये 'हिन्दी' शब्दके अर्थमें बहुत बारीकियां करनेकी आवश्यकता नहीं मालूम होती। हिन्दीके कथित सार्वदेशिक और प्रादेशिक रूपोंके बीचकी विभाजक रेखा कौन खींचेगा? क्या सार्वदेशिक हिन्दीका कोष प्रादेशिक हिन्दीके कोषोंकी सहायताके बिना बनाया जा सकेगा? और सार्वदेशिक हिन्दी या हिन्दुस्तानीका कोअी लेखक कोअी बढ़िया पुस्तक लिखे, तो प्रादेशिक हिन्दीके लेखक क्या अुसका बहिष्कार करेंगे? हम लोग अंग्रेजीमें अनेक अारतीय शब्द भर सकते हैं। लेकिन क्या हम यह कह

सकते हैं कि 'आक्सफोर्ड डिक्शनरी', या 'नेसफील्डकी ग्रामर' हमारे लिये प्रामाण्य ग्रन्थ नहीं है? अिसी तरह सार्वदेशिक हिन्दीके विकासमें हमें प्रादेशिक हिन्दीको महत्त्वका स्थान देना ही पड़ेगा।

— कि० घ० म०]

दो चित्र

१

वेल्समें राष्ट्रवादियों द्वारा सत्याग्रह

'टाइम्स ऑफ अिडिया' (२-९-५१) में वेल्समें अुअी अंक सत्याग्रहकी घटनाका समाचार आया है। कोअी पचहत्तर स्त्री-पुरुष चार पंक्तियोंमें सड़क पर बैठ गये और ट्रॉसफिनडकी अंक छावनीमें सेनाकी लारियोंका आना-जाना अुन्होंने बन्द कर दिया। संवाददाताका कहना है कि अिस दृश्यको देखकर अारतके सविनय कानून-भंग आन्दोलनके दिनोंकी याद आती थी।

जब लारियां आतीं, तो सत्याग्रही अउनके सामने जमीन पर पूरे लेट जाते और अुन्हें रुकना पड़ता। युद्ध-कार्यालयने सेनाके अुपयोगके लिये ५,००० अंकड़ जमीन और ले ली है; सत्याग्रह वेल्सके राष्ट्रवादी पक्षके द्वारा सरकारके अिस कदमका विरोध करनेके लिये किया गया था। राष्ट्रवादी पक्षका कहना है कि अिससे "वेल्सके राष्ट्रीय जीवनको भारी नुकसान होगा", और यदि सरकारने अिस विषयमें प्रजाकी भावनाकी अुपेक्षा की, तो अुसका यह कदम अंक "निलंज्ज आक्रमणसे कम नहीं होगा।"

सत्याग्रहियोंमें ब्रेकन कांग्रेसेशनल कॉलेजके नायब-प्रिन्सिपल और दूसरे अधिकारी भी थे। पुलिसके प्रति सहानुभूतिके कारण सत्याग्रह शामको स्थगित कर दिया गया। पुलिसने प्रदर्शनकारियोंकी घरपकड़ नहीं की।

(अंग्रेजीसे)

२

दरभंगामें सत्याग्रह

दरभंगा नगरसे करीब नौ मील पर मुरिया देहातमें सरकारने सिंचाअीके लिये करीब ४ हजार रुपये खर्च करके अंक बांध बनवाया। अुससे २५ से ४० अंकड़ भूमिकी सिंचाअीकी कल्पना की गयी थी। कुछ दिन बाद बांधके अुत्तरकी ओर बाढ़ आअी और लोगोंकी फसल और घर, आदिको नुकसान होनेका डर पैदा हुआ। अधिकारियोंने लोगोंकी दरखास्त पर बांध काटनेकी अिजाजत दे दी।

अधिकारी वर्ग पुलिसके साथ बांध काट देनेके लिये आया। यह समाचार सुनते ही दक्षिणवालोंने, जिनको बांध काटनेसे फसलके नुकसान और गांवमें पानी भर जानेका डर था, काटनेका विरोध किया। अुस दिन मामला वहीं खतम हुआ।

लेकिन दूसरे दिन अधिकारी वर्ग सशस्त्र होकर आया। अउनका विरोध करनेकी दृष्टिसे कुछ लोग बांध पर लेट गये। विरोधियोंमें स्त्रियां भी थीं। अिन पर गोलियां चलीं, जिससे ९ आदमी, जिनमें चार स्त्रियां थीं, मृत्युका शिकार अुअे और सोलह घायल अुअे। प्रकाशित समाचारोंसे यह विदित हुआ है कि विरोधियोंने कोअी हिंसाल्मक कार्य नहीं किया। घायलोंको दरभंगा अस्पतालमें दाखिल किया गया।

अैसा खयाल होता है कि किसी विचार या योजनाके बिना ही सरकार सड़कें और बांध बनवा रही है। परिणामस्वरूप, अंक जगह लोग पानीकी कमीसे और दूसरी तरफ अत्यधिक पानीसे नुकसान पाते हैं। अुत्तरी बिहारका अकाल सरकारकी अिसी नीतिसे हुआ, अैसा माना जाता है। और जब लोगोंको कष्ट होता है और वे विरोध करते हैं, तब अुन्हें लाठी और बन्दूकसे धबाया जाता है।

द्वयनारायण चौधरी

अंग्रेजीका स्थान कौनसी भाषा ले ?

'हरिजनसेवक' के पिछले अंकमें हमने देखा कि बम्बयी सरकारने राज्यकी युनिवर्सिटियोंको लिखे अपने पत्रमें किस तरह यह दलील दी है कि "१९५५ के बाद अंग्रेजीको युनिवर्सिटी शिक्षणका माध्यम चालू रखना शैक्षणिक दृष्टिसे गलत होगा।" तब अंग्रेजीका स्थान किस भाषाको दिया जाय? सरकार अपने अपूर बताये पत्रमें जिस प्रश्नका उत्तर यह देती है:

"लेकिन यह सर्वत्र स्वीकार किया गया है कि चूंकि युनिवर्सिटी शिक्षण विदेशी भाषा द्वारा दिया जाता है, जिसलिसे आम जनताकी शिक्षाका सामान्य स्तर कभी अंचा नहीं उठाया जा सकता है।"

जिससे कोअी अिनकार नहीं करेगा और हरकोअी स्वभावतः यह आशा रखेगा कि देशकी बड़ी-बड़ी भाषाओंको, जिन्हें करोड़ों लोग बोलते हैं, अंग्रेजीकी जगह दी जायगी। जिसके बजाय, सरकारका पत्र विशेष दलील देते हुए कहता है:

"यह हकीकत कि राष्ट्रभाषाका राज्यकी प्रादेशिक भाषाओंसे निकट सम्बन्ध है और वह अुसी स्रोतसे निकली है, जिस मामलेमें हिन्दीको अंग्रेजीसे विशेषता प्रदान करती है।"

में नहीं जानता कि सरकारका यह भाषाशास्त्रसे सम्बन्ध रखने-वाला मत कहाँ तक सच या अुचित है। क्या कन्नड़का हिन्दीसे कोअी सम्बन्ध है? और बम्बयी राज्यकी तीन मुख्य भाषाओंका अेक समान स्रोत कौनसा है? लेकिन हम जिस विशेष दलीलका विश्लेषण नहीं करना चाहते, न यही छानबीन करना चाहते कि वह क्यों दी गयी है। विद्यार्थीकी मातृभाषाको छोड़कर दूसरी भाषाका अस्वाभाविक माध्यम सुझानेके लिअे ही अुसका सहारा लिया गया है—अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटकमें अुच्च शिक्षणके लिअे हिन्दी माध्यम सुझानेके लिअे।

सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टिसे जिस बुरे सुझावके लिअे सरकारने अेक दूसरी दलील यह दी है:

"जिसके अलावा, जैसी कि भारतीय विधानमें सूचना की गयी है, अगर हिन्दीको ज्यादासे ज्यादा १९६५ तक हमारे राष्ट्रीय जीवनके सारे क्षेत्रोंमें (मोटे अक्षर मेरे हैं) अंग्रेजीका स्थान ले लेना हो, तो कालेजकी शिक्षाके लिअे हिन्दीको माध्यमके तौर पर स्वीकार करना अंग्रेजीसे हिन्दी पर जानेकी बातको सुविधाजनक बनानेकी दिशामें पहला कदम होगा।"

में पाठकोंको जिस बातकी जांच करनेको आमंत्रण देता हूँ कि यह कथन कहाँ तक सत्य है कि भारतका विधान "हमारे राष्ट्रीय जीवनके सारे क्षेत्रोंमें" अंग्रेजीकी जगह हिन्दीको देनेकी सूचना करता है। विधान कहता है, हिन्दी संघकी राजभाषा होगी। वह आगे कहता है कि किसी राज्यकी धारासभा चाहे तो कानून बनाकर राज्यमें प्रचलित किसी अेक भाषा या ज्यादा भाषाओंको या हिन्दीको राज्यके सारे कामकाजकी या किसी भी कामकी भाषा या भाषाओंके तौर पर अपना सकती है।

जिस तरह विधान अपनी सूची ८ में बतायी गयी महान भारतीय भाषाओंके कानूनी और अुचित अुपयोगके लिअे निश्चित रूपसे सूचना करता है। विधानमें शिक्षाके माध्यमके तौर पर हिन्दीका अुपयोग करनेके बारेमें बिलकुल ही जिक्र नहीं हुआ है। यह अेक अज्ञात सवाल है, जिसका फसला शासनसम्बन्धी जरूरतोंको ध्यानमें रखकर नहीं, बल्कि हमारी जनताकी सांस्कृतिक, प्रजातांत्रिक और शैक्षणिक जरूरतोंके आधार पर ही किया जा सकता है। और, जैसा कि हमारे राष्ट्रपतिने अभी हालमें अुस्मानिया युनिवर्सिटीमें कहा, हमारे विधानके बुनियादी सिद्धान्तों और "हमारी दृष्टिमें

रहे ध्येयोंकी सिद्धिमें बहुत बड़ी मदद करनेवाली भाषा-नीति" को देखते हुए "बड़े आकारवाले हर भाषाभाषी दलको सारा शिक्षण—प्राथमिक, माध्यमिक और युनिवर्सिटी शिक्षण—अुसकी अपनी भाषामें ही मिलना चाहिये।"

अन्तमें सरकारी पत्र कहता है कि यह आमूल परिवर्तन शांति और मिठासके साथ, कुशलतासे और शीघ्रतासे होना चाहिये। और आगे जोड़ता है कि यह परिवर्तन आम तौर पर समाजके और खास तौर पर विद्यार्थी-जगतके सबसे बड़े हितमें होगा। स्पष्ट है कि यह बात शंकास्पद है। पत्रमें यह कल्पना की गयी है कि अेस० अेस० सी० अी० (माध्यमिक शालांत परीक्षा) के विद्यार्थी मार्च १९५५ में सात साल तक हिन्दी पढ़ चुके होंगे। लेकिन अुच्च शिक्षाके अध्यापकोंके बारेमें क्या होगा? वे अपना काम हिन्दीमें कैसे करेंगे, जिसे अनूमें से अधिकांश नहीं जानते? आज अनूके पास अंग्रेजीकी जगह लेनेवाली जो तैयार भाषा है, वह अनूकी मातृभाषा है। और निश्चित रूपसे विद्यार्थीकी भाषा—केवल वही, न कि कुछ सालमें जैसी-तैसी सीखी हुयी हिन्दी—ही माध्यमके तौर पर अुसका सबसे ज्यादा हित कर सकती है। जैसा कि राधाकृष्णन्-रिपोर्टमें (पृष्ठ ३२१, पंरा ४७) कहा गया है, "अैसी हालातोंमें हालांकि राष्ट्रीय जरूरतोंके दबावसे हमने हिन्दी (हिन्दुस्तानी) को भारतकी संघभाषा स्वीकार कर लिया है, फिर भी अुसे अंग्रेजीका स्थान देना कठिन है।" और जैसा कि वह आगे निश्चित रूपमें कहती है, "शिक्षाकी दृष्टिसे और जनतंत्रात्मक समाजके सामान्य हितकी दृष्टिसे यह जरूरी है कि लोगोंका शिक्षण अनूकी प्रादेशिक भाषाओंके जरिये होना चाहिये।" और केवल शीघ्रता और अुपयोगिताकी दृष्टिसे भी रिपोर्ट स्वीकार करती है कि "हम यह मानते हैं कि निकट भविष्यमें प्रादेशिक भाषायें सारे प्रांतोंमें हर दर्जे पर शिक्षणका मुख्य माध्यम होंगी।" यह देखकर दुःख होता है कि बम्बयी सरकारने जिस सबके महत्त्वको नहीं समझा और अेक अैसी दृष्टि अपनायी है, जो न तो आम तौर पर समाजके और न खास तौर पर विद्यार्थी-जगतके सबसे बड़े हितमें है। और न वह राज्यमें सच्चे शिक्षण और लोकशाहीके विकासमें ही मदद पहुंचा सकती है। अैसी गंभीर भूल खतरनाक है। और अगर मैं अनुमान लगानेका साहस करूँ, तो कहूँगा कि यह भूल जिस प्रश्नको जरूरतसे ज्यादा शासनिक दृष्टिसे देखनेका नतीजा है। लेकिन यह हमें अेक नये मुद्दे पर ले जाता है, जिस पर मैं आगे अलगसे चर्चा करूँगा।

अहमदाबाद, १४-९-५१

मगनभायी देसायी

(अंग्रेजीसे)

स्त्री-पुरुष-मर्यादा

लेखक : किशोरलाल मशरुवाला

अनु० : सोमेश्वर पुरोहित

कीमत १-१२-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-९

| विषय-सूची | पृष्ठ |
|----------------------------------|-----------------------|
| भूदान-यज्ञकी भूमिका—१ | विनोबा २५७ |
| शिक्षाके पुनर्गठनकी आवश्यकता | बा० गं० खेर २५८ |
| नियंत्रण और शुद्ध व्यवहार | श्रीकृष्णदास जाजू २६० |
| महात्मा गांधी और शराबबंदी | २६१ |
| संविधानकी हिन्दी | घनश्यामसिंह गुप्त २६२ |
| दो चित्र | २६३ |
| अंग्रेजीका स्थान कौनसी भाषा ले ? | मगनभायी देसायी २६४ |